न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बइजलाश श्री ब्रजमोहन नोगिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 101/2019 एवं 104/2019

अपीलाण्ट –

1. अमुतलाल पंवार पुत्र श्री जीतुलालजी जाति ढोली निवासी गिरी, हाल निवासी जीनगर बाजार जैतारण तहसील जैतारण
2. श्रीमती ललितादेवी पत्नी भंवरलाल जी जाति ढोली निवासी हिम्मतनगर, पाली तहसील पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. गुलाब पुत्र श्री गफूरजी जाति मेहरात निवासी खोखरी (गिरी) तहसील रायपुर
2. राधा पत्नी श्री लादूराम जाति राईका निवासी गिरी तहसील रायपुर
3. पानीदेवी पत्नी श्री मगाजी जाति देवासी निवासी लाखजी का बाडीया, गिरी तहसील रायपुर
4. तहसीलदार रायपुर
5. पटवारी हल्का, पटवार घर गिरी तहसील रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति –

अपीलाण्ट्स की ओर से श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री भागीरथ तेली, अधिवक्ता

– निर्णय –

दिनांक : 15-04-2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2013 में पारित आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.11.2013 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 09.06.2019 के विरूद्ध पृथक–पृथक रूप से अपीलें प्रस्तुत की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की

बहस समायत की गई। चूंकि एक ही वाद में हुए प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री को लेकर समान पक्षकारान् के मध्य समान बिन्दु को लेकर विवाद होने के कारण उक्त दोनों ही अपीलों का इस निर्णय के जरिये निस्तारण किया जा रहा हैं।

अपीलाण्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ़ काज़ी ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का विभाजन करवाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त भूमि से कब्जा हटवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जबकि अपीलाण्ट संख्या 2 का वर्ष 1996 से उक्त भूमि पर निर्विवादित रूप से अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट संख्या 2 का मकान भी बना हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करवाये है, जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना भी नहीं की, वाद में अपीलाण्ट की तामील भी नहीं हुई थी, इसके बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया, न तनकीयात कायम की एवं न ही साक्ष्य आदि संग्रहित किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया का पूर्णतः दुरूपयोग करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अतः जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की हैं।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है तथा उनकी सहमति से ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के प्रावधानों से बाधित होने के कारण भी स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः अपील खारिज़ कराने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील दिनांक 22.11.2013 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, जो दिनांक 30.12.2019 को दायर हुई हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा दिनांक 22.11.2013 को आदेश पारित की जानकारी अपीलाण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता को होने पर उनके द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को पुनर्विलोकन कराने हेतु द्वारा दिनांक 11.04.2014 को ही न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही किए बिना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

दिनांक 09.06.2016 को न्याय आपके द्वारा कैम्प गिरी में प्रकरण का निस्तारण करते हुए अन्तिम डिक्री जारी की। इसकी जानकारी अपीलाण्ट संख्या 2 को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2019 को प्रतिलिपि प्रदान कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 03.12.2019 को प्रतिलिपि जारी की हैं। उक्त प्रतिलिपि जारी होने के एक माह की अवधि के भीतर अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण में अन्तिम निर्णय किये जाने से पूर्व प्रकरण पर विचाराधीन समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आवश्यक हैं, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया हैं। यह विधिक दृष्टिकोण से भी त्रुटीपूर्ण हैं। इस कारण प्रकरण के विधिक निस्तारण हेतु परीक्षण किये जाने के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने की दिनांक 22.11.2013 से अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

जहां तक प्रकरण को गुणावगुण पर देखे जाने का प्रश्न है, तो प्रथमतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट संख्या 2 के नाम जो सम्मन जारी किये गये थे, उन पर यह रिपोर्ट आई थी, कि "प्रतिवादी पाली निवास करते हैं।" इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सम्मन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से प्रस्तुत ही नहीं किये गये, इस दरम्यान अपीलाण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.10.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की गई। उसके पश्चात पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 21.11.2013 को नियत की गई। दिनांक 21.11.2013 की आदेशिका अनुसार पत्रावली दिनांक 12.12.2013 को नियत की गई थी, जिसमें कांट–छांट करते हुए दिनांक 22.11.2013 अंकित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की। इस पर अपीलाण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2014 को उक्त प्राथमिक डिक्री एवं आदेश को पुनर्विलोकन कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना ही प्रकरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित की गई है, जो विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को न तो जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया एवं न ही विधिक प्रावधानों की पालना की। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीले स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2013 में पारित आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.11.2013 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 09.06.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15-04-2021 को दोहरी प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सम्बन्धित पत्रावलियों के संलग्न किया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(ब्रजमोहन जोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली